डीजी परिपत्र संख्या–25 /2022

देवेन्द्र सिंह चौहान
आईपीएस

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
पुलिस मुख्यालय, लखनऊ
दिनांकःसितम्बर 9 ,2022

विषयः किमिनल मिस0 बेल अप्लीकेशन संख्या–56496/2021–विवेक सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के संबंध में।

प्रिय महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि उपर्युक्त विषयक मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित किमिनल मिस0 बेल अप्लीकेशन संख्या–56496/2021–विवेक सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा विवेचनाओं में सुधार हेतु अनुपालनार्थ मौखिक निर्देश दिये गये हैं, जो निम्नवत हैं:–

"There must be proper indexing in case diary to facilitate the prosecutor/Hon'ble Judges and Advocates to access the relevant statement/document in case diary conveniently."

मा0 न्यायालय द्वारा दिये गये उक्त निर्देश के कम में अपने अधीनस्थ नियुक्त अधिकारियों/थाना प्रभारियों/विवेचकों को यह निर्देशित करें कि वह सी0सी0टी0एन0एस0 साफ्टवेयर में केस डायरी भरने के उपरान्त प्रिन्ट कर मा0 न्यायालय भेजने से पूर्व केस डायरी में उल्लिखित दस्तावेजों/अभिलेखों (164 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत दर्ज किये गये बयान, मेडिकोलीगल रिपोर्ट, नक्शा नजरी, वैज्ञानिक साक्ष्य, विभिन्न गवाहों के बयान इत्यादि) को समुचित रूप से सूचीबद्व (**Proper Indexing**) करें, जिससे कि मा0 न्यायाधीशों/अभियोजक और अधिवक्ताओं को केस डायरी से सम्बन्धित प्रासंगिक विवरण/दस्तावेज का अवलोकन करने में असुविधा न हो।

3. अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि मा0 न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किये जाने हेतु जनपद में नियुक्त राजपत्रित अधिकारियों/थानाध्यक्षों/विवेचनाधिकारियों को इस परिपत्र की प्रति उपलब्ध कराते हुए यह सुनिश्चित करें कि इन निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये।

भवदीय

(देवेन्द्र सिंह चौहान)
09/9/22

1. पुलिस आयुक्त,
कमिश्नरेट–लखनऊ/कानपुर/वाराणसी/गौतमबुद्धनगर।

2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद/रेलेवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. अपर पुलिस महानिदेशक(कानून एवं व्यवस्था), उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक(रेलवेज), उ0प्र0 लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक(अभियोजन), उ0प्र0 लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक(तकनीकी सेवाऍं), उ0प्र0 लखनऊ।
5. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
6. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।